

आदेश

वाटपम आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी को करिये स्वाइ निवेदाता से वाक किया जाता है कि ग्राम-पंच जो धापुरा की सरहद में स्थित ग्राम नं. 174, 217, 218, 220, 221, 228, 229, 231, 226 किला 9 कुम 2007 उ.प। ही. में वादी के हिस्सा की हद तक ग्राम के उपयोग उपयोग में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

पञ्चवली फौजल शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा फाखिल दफ्तर हो।

दिनांक आज दिनांक 12.6.18 को न्याय कोर्ट जो धापुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नरसिंही (सुपु)